

डिक्री बमुकदमें ईब्लदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर-67/2019

कलवत कुमार पुत्र रणवीर सिंह पुत्र धनपतराम जाति जाट निवासी मिर्जावाली मैर
तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम्

1. इन्द्रादेवी पत्नी रणवीरसिंह } कौम जाट निवासी मिर्जावाली मैर तहसील टिब्बी
2. जसवंत सिंह पुत्र रणवीरसिंह } जिला हनुमानगढ।
3. शीटा पुत्री रणवीर सिंह पत्नी ख्यालीराम जाति जाट निवासी डबलीकंला तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ।
4. सरोज पत्नी सुभाष पुत्री धनपतराम कौम जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते
इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री करनैलसिंह वकील वादी मिन जामिन मुदई
श्री मदनसिंह बुरडक एडवोकेट प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम
दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि रणवीरसिंह व प्रतिवादीसं० 4 के नाम से
चकनं० 7 एम.जैड डबल्यू के खाता सं० 115/104 में कुल 7.160 है० ब०हि०ब० दर्ज
भूमि के वादी कलवंत कुमार व प्रतिवादी सं० 2 जसवंत सिंह को ब०हि०ब० के पुख्ता
अलॉटी काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं० 7 एम.जैड डबल्यू के खाता सं०
115/104 में रणवीरसिंह व प्रतिवादीयासं० 4 सरोज का नाम कलमजन किये जाने के
आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी
पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद
किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय
शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तकअदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....19-08-2019.....को जारी
किया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी